

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 1553/2001

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- मेसर्स गारमेंट क्राफ्ट्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी, जे-144, आदर्श नगर, जयपुर इसके मालिक श्री सा के माध्यम से
- कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल, 60-61, स्काईलार्क बिल्डिंग, सातवीं मंज़िल, नेहरू पैसेज, नई दिल्ली

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री नितिन जैन
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री रुपिन कला, जी सी

माननीय श्री. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

29/05/2024

- यह याचिका आदेश दिनांक 11.12.2000 को नियोजित कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी नं. 1 द्वारा चलाए जा रहे गारमेंट फैक्ट्री का 26.08.1996 को भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया। पूछताछ में 26 कर्मचारियों की सूची तैयार की गई और उस पर मालिक के हस्ताक्षर करवाए

गए। कार्यवाही की शुरुआत कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 7 ए के तहत नोटिस जारी करने से हुई। दिनांक 20.05.1998 के आदेश के अनुसार, यह माना गया कि प्रतिवादी नं. 1 की फैक्ट्री उक्त अधिनियम के अंतर्गत आती है। उक्त आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका 10/12.07.2000 को खारिज कर दी गई। प्रतिवादी ने अपील में 11.12.2000 को सफलता प्राप्त की। अतः वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि निरीक्षण टीम द्वारा तैयार की गई 26 कर्मचारियों की सूची पर प्रतिवादी नंबर 1 (मालिक) द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। निरीक्षण के समय जो फॉर्म भरा गया, उसमें उल्लेख किया गया कि कुल बीस कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं (जिसमें से पंद्रह उपस्थित थे और पाँच छुट्टी पर गए थे)। यह तथ्य स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तव में बीस कर्मचारी कार्यरत थे। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलीय प्राधिकारी ने सूची तथा निरीक्षण के दौरान भरी गई जानकारी की सही तरीके से सराहना (गौर करना) नहीं की और उचित रूप में उसे समझा नहीं।
4. प्रतिवादी के अधिवक्ता ने विवादित आदेश का बचाव किया।
5. अपीलीय प्राधिकरण ने अपील स्वीकार की, यह मानते हुए कि छब्बीस कर्मचारियों की सूची जांच के आधार पर तैयार की गई थी, लेकिन हस्ताक्षर केवल चौदह कर्मचारियों के थे, पाँच कार्य की समाप्ति के बाद जा चुके थे और तीन छुट्टी पर थे। तीन कर्मचारियों को लेकर विवाद था कि वे नियमित कर्मचारी नहीं थे और

कभी-कभी टुकड़े के हिसाब से काम करते थे। यह दर्ज किया गया कि चौदह में से दो कर्मचारी, जिन्होंने सूची पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें मजदूर यूनियन के नेता द्वारा लाया गया था।

6. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज की गई इस बात पर कोई चुनौती नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार तीन कर्मचारी टुकड़ा दर के आधार पर काम कर रहे थे और उन्हें किसी निश्चित समय अवधि के लिए या समय अवधि के आधार पर भुगतान के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। इस विषय पर कोई विवाद नहीं हुआ।
7. यह कहना कि निरीक्षण के समय तैयार की गई कर्मचारियों की सूची इस बात का स्वीकार था कि प्रतिवादी नंबर 1 ने बीस से अधिक कर्मचारी नियुक्त किए थे, जो कि निराधार है। यह सूची जांच के आधार पर तैयार की गई थी। संबंधित अधिकारी केवल चौदह व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर सके, जिनमें से दो हस्ताक्षरकर्ता की प्रासंगिकता समाप्त हो गई थी क्योंकि यह सिद्ध हो गया था कि व्यक्तियों को यूनियन लीडर द्वारा लाया गया था। निरीक्षण करने वाली टीम के अधिकारियों ने यहां तक की कोशिश की कि उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर लिए जाएं जो प्रतिवादी नंबर 1 के कर्मचारी नहीं थे और इन्हें मजदूरों के नेता द्वारा लाया गया था, जिससे सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है।
8. पंजीकरण के लिए निरीक्षण के समय भरे गए फॉर्म पर जो भरोसा रखा गया है, जिसमें प्रतिवादी ने यह बताया है कि पंद्रह कर्मचारी उपस्थित थे, वह मामले को

मजबूत नहीं करता है, क्योंकि निरीक्षण टीम द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार यह विपरीत है। दूसरे शब्दों में, निरीक्षण अधिकारी द्वारा तैयार की गई सूची के हिसाब से बारह कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं, उसी दिन भरे गए फॉर्म में पंद्रह कर्मचारियों की उपस्थिति दर्शायी गई थी।

9. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन) जे

चंदन/14रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate